

छत्तीसगढ़ राज्य पावर ट्रेडिंग कम्पनी मर्यादित

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

की धारा-4(1)(बी) के अंतर्गत स्वमेव
प्रकटीकरण की जानकारी

विवरणिका

अनुक्रमणिका (Index)

क्र.	विवरण	पेज.नं.
01.	प्रस्तावना	03-04
02.	संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य एवं कर्तव्य	05-11
03.	अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ और कृत्य	12
04.	कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देश और अभिलेख	13
05.	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया	14
06.	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापदण्ड एवं कार्यों के निर्वहन हेतु संधारित नियम, विनियम एवं अनुदेश का विवरण	15
07.	संधारित पंजियों एवं दस्तावेजों का विवरण	16-17
08.	नीति निर्धारण एवं कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनाए गए व्यवस्था का विवरण	18
09.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी मर्यादित के अन्तर्गत गठित मण्डल परिषद कमेटी	19
10.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी मर्यादित के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका	20
11.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी मर्यादित में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन की जानकारी	21
12.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी मर्यादित को आबंटित बजट	22
13.	अनुदान सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत व्यय राशि का लाभान्वितों से संबंधित जानकारी	23
14.	संगठन द्वारा अनुदत्त रियायतों अनुज्ञा पत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं की विशिष्टियाँ	24
15.	इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध जानकारी	25
16.	सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध करायी गयी सुविधाओं का विवरण	26
17.	लोक सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम एवं अन्य विवरण	27
18.	अन्य उपयोगी जानकारी	28

प्रस्तावना

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिनांक 15 जून, 2005 को स्वीकृति प्रदान की गयी है। सूचना का अधिकार अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 से लागू हो चुका है।

प्रस्तुत जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (ब) के अन्तर्गत है। इसका उद्देश्य सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के परिपालन में नागरिकों को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी मर्यादित से संबंधित जानकारी को उपलब्ध कराकर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी मर्यादित के क्रियाकलापों में पारदर्शिता लाना है। इसमें निम्नलिखित सत्रह बिन्दुओं की विवरणिका (Manual) सम्मिलित है।

- (1) संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य एवं कर्तव्य।
The particulars of its organization, functions and duties;
- (2) अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ और कृत्य।
The powers and duties of its officers and employees;
- (3) कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देश और अभिलेख।
The rules, regulation, instructions, manuals and records, held by it or under its control or used by its employees for discharging its functions;
- (4) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया।
The procedure followed in the decision making process, including channels of supervision and accountability;
- (5) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापदण्ड एवं कार्यों के निर्वहन हेतु संधारित नियम, विनियम एवं अनुदेश का विवरण।
The rules, regulations, instructions, manuals and records, held by it or under its control or used by its employees for discharging its functions, & the norms set by it for the discharge of its functions;
- (6) संधारित पंजियों एवं दस्तावेजों का विवरण।
A statement of the categories of documents that are held by it or under its control;
- (7) नीति निर्धारण एवं कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनाए गए व्यवस्था का विवरण।
The particulars of any arrangement that exists for consultation with, or representation by the members of the public in relation to the formulation of its policy or implementation thereof;
- (8) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी मर्यादित के अन्तर्गत गठित मण्डल परिषद कमेटी।

A statement of the boards, councils, committees and other bodies consisting of two or more persons constituted as its part or for the purpose of its advice, and as to whether meetings of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public, or the minutes of such meetings are accessible for public;

- (9) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी मर्यादित के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका
A directory of its officers and employees;
- (10) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी मर्यादित में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन की जानकारी ।
The monthly remuneration received by each of its officers and employees, including the system of compensation as provided in its regulations;
- (11) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी मर्यादित को आबंटित बजट ।
The budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and reports on disbursements made;
- (12) अनुदान सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत व्यय राशि का लाभान्वितों से संबंधित जानकारी ।
The manner of execution of subsidy programmes, including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes;
- (13) संगठन द्वारा अनुदत्त रियायतों/अनुज्ञा पत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ ।
Particulars of recipients of concessions, permits or authorizations granted by the organization;
- (14) इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध जानकारी ।
Details in respect of the information, available to or held by it, reduced in an electronics form;
- (15) सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध करायी गयी सुविधाओं का विवरण ।
The particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working hours of a library or reading room, if maintained for public use;
- (16) लोक सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम एवं अन्य विवरण ।
The names, designations and other particulars of the Public Information Officers;
- (17) अन्य उपयोगी जानकारी ।
Such other information as may be prescribed;

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी मर्यादित की जानकारी वेबसाइट <http://www.cspc.co.in> में भी पृथक रूप से उपलब्ध है ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
मैनुअल क्रमांक-1

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी मर्यादित की विशिष्टियाँ, कृत्य
एवं कर्तव्य

The particulars of its organization, functions and duties;

क्रम	विवरण
1	प्रारंभिकी
1.1	सिंहावलोकन (संक्षिप्त इतिहास एवं गठन का प्रसंग)
1.2	ट्रेडिंग कम्पनी के कार्य एवं दायित्व
1.3	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी मर्यादित प्रबंधन (यथास्थिति)
1.4	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी मर्यादित का संगठनात्मक ढाँचा
1.5	कार्यालयीन समय 10.30 बजे से 05.30 बजे तक

1.1 सिंहावलोकन (संक्षिप्त इतिहास एवं गठन का प्रसंग)

विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत वर्ष 1957 में मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल की स्थापना हुई । भारतीय संसद द्वारा पारित मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत 1 नवम्बर, 2000 को देश के 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य का नव-उदय हुआ, तत्पश्चात विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 5 के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य शासन के राजपत्र (असाधारण) दिनांक 15 नवम्बर, 2000 के माध्यम से जारी अधिसूचना से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल का गठन किया गया एवं उक्त तिथि से अपनी पैतृक संस्था मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल से पृथक होकर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल अस्तित्व में आ गया एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल ने 01 दिसम्बर, 2000 से विधिवत् कार्य करना प्रारंभ किया ।

सम्पूर्ण देश में लागू हुए विद्युत सुधार कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में विद्युत अधिनियम, 2003 (Electricity Act 2003) के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य शासन के राजपत्र दिनांक 19 दिसम्बर, 2008 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल को "छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल अंतरण योजना, 2008" के तहत पाँच कम्पनियों में यथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी मर्यादित, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी मर्यादित, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी मर्यादित के रूप में पुनर्गठित किया गया । तत्पश्चात राज्य सरकार एतद द्वारा समय समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-1/8/2008/13/1 दिनांक 19 दिसंबर 2008 की अधिसूचित योजना को अधिक्रमित करते हुए पुनरीक्षित योजना "छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल अंतरण योजना, 2010" को दिनांक 31.03.2010 को जारी किया गया ।

1.2 ट्रेडिंग कम्पनी के कार्य एवं दायित्व

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल अंतरण योजना, 2010 में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी मर्यादित के कर्तव्य एवं दायित्व निम्नानुसार दर्शाए गए हैं :-

ट्रेडिंग कम्पनी के मुख्य कार्य एवं दायित्व :

- (क) ट्रेडिंग कम्पनियों, उत्पादन कम्पनियों, केन्द्रीय उत्पादन केंद्रों (जिसके लिए केंद्र शासन द्वारा राज्य को ऊर्जा का आबंटन नहीं किया जाता) एवं राज्य के उत्पादन केन्द्रों, राज्य विद्युत मंडलो, अन्य राज्यों, निकायों, कम्पनियों एवं व्यक्तियों से विद्युत क्रय अनुबंध निष्पादित करना एवं पारेषण लाईसेंस धारियों से पारेषण सेवा समझौते निष्पादित करना;
- (ख) अन्य वितरण एवं व्यापारी कम्पनियों एवं अन्य व्यक्तियों से अथवा उनको विद्युत के क्रय या विक्रय संबंधी अनुबंध निष्पादित करना एवं अन्य कम्पनियों एवं संबंधितों जिनमें उत्पादन, पारेषण, वितरण, प्रदाय एवं विद्युत की व्हीलिंग में संलग्न सहायिकी, संबंधित एवं सम्बद्ध शामिल है, को समन्वय, सहायता, सलाह देना;
- (ग) राज्य शासन की ओर से केप्टिव विद्युत संयंत्रों एवं स्वतंत्र विद्युत उत्पादनकर्ता (आई.पी.पी.) द्वारा विकसित नये उत्पादन संयंत्रों से विद्युत के क्रय हेतु निविदा तथा संविदा करना और नियत तिथि से व्यापार प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करना। ट्रेडिंग कंपनी को राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निश्चित किये अनुसार बतौर व्यापार प्रतिनिधि कार्य करने के एवज में कमीशन का भुगतान किया जायेगा।
- (घ) विद्युत का क्रय, आयात, निर्यात, उत्पादन, व्यापार, निर्माण या विद्युत शक्ति के लेनदेन से संबंधित कारोबार को चलाना एवं उत्पादन, वितरण या विद्युत के व्यापार में रत् अन्य कंपनियों एवं संबंधितों के क्रियाकलापों, जिनमें सहायिकी, संबंधित एवं सम्बद्ध शामिल हैं, को विद्युत उत्पादन गृहों, सम्बंधित लाइनों एवं निर्माण, उत्पादन, उपयोग भण्डार एवं विद्युत माप, वितरण एवं आपूर्ति से संबंधित समस्त मसलों पर समन्वय सहायता एवं सुझाव देना।

(ड.) ट्रेडिंग कंपनी वितरण कंपनी की ओर से अधिशेष विद्युत के ट्रेडिंग हेतु उत्तरदायी होगी। इस प्रयोजन हेतु सीएसपीट्रेडको निम्नानुसार उत्तरदायी होगी:-

(i) वितरण कंपनी के अधिशेष विद्युत के क्रय के लिए वितरण कंपनी के साथ अनुबंध निष्पादित करना।

(ii) विद्युत वितरण कंपनी के पास उपलब्ध अधिशेष बिजली के विक्रय की व्यवस्था करना।

(च) वितरण कंपनी के उपभोक्ताओं के लिए अल्पकालिक आधार पर आपूर्ति हेतु किसी अपर्याप्त पॉवर की स्थिति को दूर करने के लिए लघुअवधि के आधार पर आपूर्ति हेतु ट्रेडिंग कंपनी विद्युत क्रय करेगी। इस उद्देश्य के लिए ट्रेडिंग कंपनी निम्नानुसार उत्तरदायी होगी :-

(i) द्विपक्षीय संविदाओं, पॉवर ट्रेडर्स, विनिमय व्यवस्थाओं, ऊर्जा विनिमय, ओपन एक्सेस आदि के द्वारा अल्पकालीन पॉवर क्रय करने की व्यवस्था करना, और

(ii) वितरण कंपनी की ऐसी किसी कमी की आपूर्ति हेतु यदि आवश्यक समझा जाए तो ट्रेडिंग कंपनी बड़ी मात्रा में विद्युत विक्रय अनुबंध करेगी।

(iii) यदि आवश्यक हो तो ट्रेडिंग कंपनी वितरण कंपनी की इस कमी को अधिशेष उपलब्ध ऊर्जा से पूर्ण करेगी जो कि आईपीपी के समझौता अनुबंध के मार्ग से अनुबंधित विद्युत के अलावा होगा, अथवा ऐसे अन्य स्रोतों से होगा, जिनमें राज्य के भीतर और राज्य के बाहर परिचालित कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र सम्मिलित हैं।

(छ) ट्रेडिंग कंपनी इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगी तथा उन शक्तियां का प्रयोग करेगी, जो इस योजना के अंतर्गत ट्रेडिंग कंपनी में निहित हैं। एक अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में ट्रेडिंग कंपनी के कार्य एवं कर्तव्य में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :-


(i) बाजार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन एवं पूर्ववर्ती छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों के साथ कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु निष्पादित समझौता करारों के

- प्रावधानों के अनुरूप निजी विद्युत विकासकर्ताओं को सुविधा पत्र (लेटर ऑफ कम्फर्ट) जारी करना;
- (ii) बाजार की आर्थिक स्थिति अथवा राज्य शासन के निर्देशों के पालन में राज्य शासन की ओर से स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों से विद्युत क्रय अनुबंध करना;
- (ii-क) निजी विद्युत उत्पादकों द्वारा विकसित परियोजनाओं से उत्पादित ऊर्जा को समुचित विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित कीमत पर प्राप्त करना और उसका उपयोग करना अथवा राज्य शासन के निर्देशों के अनुरूप इस ऊर्जा का विक्रय करना;
- (ii-ख) उपरोक्तानुसार प्राप्त विद्युत हेतु पृथक् लेखा का संधारण व विद्युत के विक्रय से प्राप्त राजस्व को पृथक् से संधारित करना; और
- (ii-ग) व्यापार संव्यवहारों के परिणामस्वरूप अर्जित अधिशेष कोष, यदि कोई हो, को जमा करना, ऐसे अधिशेष इस योजना के नियम 6(ड.) के प्रावधानों के अनुरूप सहभागित किए जाएंगे। परन्तु इस प्रकार के व्यापार संव्यवहारों के परिणामस्वरूप यदि कोई हानि होती है तो राज्य शासन ट्रेडिंग कंपनी की ऐसी हानि को पूर्णतया क्षतिपूर्ति करेगी।
- (ज) ट्रेडिंग कंपनी, राज्य के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उपर्युक्त उल्लिखित कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में उचित परिपक्व लेखा पद्धतियां अपनाते हुए लेखा अभिलेख तथा बैंक लेखा संधारण हेतु उत्तरदायी होगी।

1.3 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी मर्यादित का प्रबंधन
(वर्तमान स्थिति में)

पदनाम	नाम सर्वश्री	दूरभाष क्रमांक		फैक्स क्रमांक
		(आफिस)	(निवास)	
1. अध्यक्ष	शिवराज सिंह आई.ए.एस. (से.नि.)	4066900 2574000	2521007	4028882
2. निदेशक	अमिताभ जैन आई.ए.एस. प्रिंसिपल सेक्रेटरी (फाइनेन्स) छ.ग.शासन	2510950	2210157	—
3. निदेशक	सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, आई.ए.एस. विषेण सचिव (स्वतंत्र प्रभार), ऊर्जा, छ.ग.शासन	2510254		2221254
4. प्रबंध निदेशक (ट्रेडिंग)	सुबोध कुमार सिंह आई.ए.एस.	2574100 4066902		2263955
5. निदेशक (वित्त एवं लेखा)	अंकित आनंद आई.ए.एस.	2574200 4066902	2574207	4066566
6. निदेशक	ओ.सी.कपिला	2574400		2241741

1.4 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी मर्यादित का संगठनात्मक ढाँचा



सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
मैनुअल क्रमांक-2

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी मर्यादित में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ और कृत्य

The powers and duties of its officers and employees in CSPTrd.CL;

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य :-

संगठन में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अलग-अलग श्रेणी/पद है । कंपनी के दायित्वों के निर्वहन हेतु कंपनी द्वारा विभिन्न स्तर के पदों के लिए विभिन्न शक्तियां प्रदत्त की गई है, जिनका उल्लेख शक्ति प्रयोजन पुस्तिका में किया गया है । इन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कंपनी के सभी अधिकारी विभिन्न कार्य निष्पादित करते हैं ।

क्रमांक	पदनाम	सौंपे गए कार्य
1	कार्यपालक निर्देशक	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल अंतरण योजना 2010 के अंतर्गत ट्रेडिंग कंपनी को विद्युत की ट्रेडिंग से संबंधित सौंपे गए कार्य
2	अधीक्षण अभियन्ता	विद्युत के क्रय एवं विक्रय से संबंधित कार्य ।
3	कार्यपालन अभियन्ता	विद्युत के क्रय एवं विक्रय से संबंधित कार्य ।
4	सहायक अभियन्ता	विद्युत के क्रय से संबंधित कार्य ।
5	सहायक अभियन्ता	विद्युत के विक्रय से संबंधित कार्य ।
6	सहायक प्रबंधक	विद्युत के क्रय/विक्रय से संबंधित कार्य ।
7	सहायक प्रबंधक	कंपनी के सचिवालयीन संबंधी कार्य ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

मैनुअल क्रमांक-3

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी मर्यादित में कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देश और अभिलेख

The rules, regulation, instructions, manuals and records, held by it or under its control or used by its employees for discharging its functions;

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी मर्यादित के कार्यों के संपादन हेतु उपयोगी प्रमुख नियम विनियम निम्नानुसार है :-

1. विद्युत अधिनियम, 2003
2. केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय समय पर निर्धारित रेग्यूलेशन
3. राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय समय पर निर्धारित रेग्यूलेशन
4. कम्पनी अधिनियम, 1956
5. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
6. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल ट्रांसफर योजना नियम-2008 एवं 2010

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

मैनुअल क्रमांक-4

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया

The procedure followed in the decision making process, including channels of supervision and accountability;

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी मर्यादित के दायित्वों का निर्वहन, कंपनी में पदस्थ अधिकारियों द्वारा संचालक मंडल द्वारा प्रत्योजित शक्तियों के अनुसार प्रकरण को स्वीकृत करने की प्रक्रिया की जाती है ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

मैनुअल क्रमांक-5

अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापदण्ड एवं कार्यों के निर्वहन हेतु संधारित नियम, विनियम एवं अनुदेश का विवरण ।

The rules, regulations, instructions, manuals and records, held by it or under its control or used by its employees for discharging its functions, & the norms set by it for the discharge of its functions;

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी मर्यादित की तकनीकी शाखा अपने दायित्वों का निर्वहन यथायोग्य केन्द्रीय/राज्य विद्युत नियामक आयोग के द्वारा जारी रेगुलेशन, विद्युत अधिनियम 2003 इत्यादि के अनुसार निष्पादित करती हैं ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

मैनुअल क्रमांक-6

A statement of the categories of documents that are held by it or under its control;

अपने कृत्यों के निर्वहन से संबंधित अभिलेखों को सामान्यतः नस्तियों/पंजियों के रूप में संधारित किया जाता है। सामान्यतः संधारित किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों का वर्गीकरण निम्नलिखित है :-

छराविट्रेडिंग कंपनी द्वारा संधारित पंजियों एवं दस्तावेजों का विवरण :

क्रमांक	नस्ती का नाम
1	कंपनी के संचालक मण्डल की बैठकों की कार्यवाही विवरण
2	कंपनी विधिक विषय
3	बिजली ट्रेडर के माध्यम से द्विपक्षीय बिजली विक्रय
4	पावर एक्सचेंज में बिजली विक्रय
5	छ0रा0वि0 वितरण कंपनी को बिजली विक्रय
6	एमओयू के अंतर्गत बिजली क्रय के संबंध में
7	बिजली ट्रेडर मे0 पीटीसी के देयक
8	बिजली विक्रय हेतु एसएलडीसी/आरएलडीसी से ओपन एक्सेस अनापत्ति प्रमाण पत्र।
9	बिजली क्रय प्रस्ताव
10	उत्पादकवार बिजली क्रय के देयक संबंधी
11	सूचना के अधिकार संबंधी जानकारी
12	बिजली उत्पादकों द्वारा दायर पिटीशन
13	स्थापना संबंधी आदेश
14	देयक रजिस्टर
15	आकस्मिक अवकाश पंजी
16	सामान्य पत्र व्यवहार
17	मंत्रालयीन पत्राचार
18	ए.जी. ऑडिट
19	विधानसभा

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

मैनुअल क्रमांक-7

नीति निर्धारण एवं कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनाए गए व्यवस्था का विवरण

The particulars of any arrangement that exists for consultation with, or representation by the members of the public in relation to the formulation of its policy or implementation thereof;

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी मर्यादित में लोक प्राधिकरण द्वारा नीति निर्धारण तथा तत्संबंधी क्रियान्वयन हेतु जनता या जनप्रतिनिधि से/को परामर्श/भागीदारी का प्रावधान दर्शाता प्रारूप निम्नानुसार है :-

स. क्र.	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता को भागीदारी अनिवार्य है ? (हाँ/नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गयी व्यवस्था
	निरंक	निरंक	निरंक

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

मैनुअल क्रमांक-8

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी मर्यादित के अन्तर्गत
गठित मण्डल परिषद कमेटी

A statement of the boards, councils, committees and other bodies consisting of two or more persons constituted as its part or for the purpose of its advice, and as to whether meetings of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public, or the minutes of such meetings are accessible for public;

ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसका भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी के संबंध में जानकारी निरंक है ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
मैनुअल क्रमांक-9

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी मर्यादित के
अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका

पदनाम	नाम	दूरभाष क्रमांक (आफिस)	फैक्स क्रमांक
1 प्रबंध निदेशक	श्री सुबोध कुमार सिंह	0771-2574100	0771-2263955
2 मुख्य अभियन्ता (तक.प्रको.)	श्री आई.एन.कैथवास	0771-2574117	---''---
3 कार्यपालन यंत्री (तक.प्रको.)	श्री एस.आर.श्रेष्ठ	0771-2574034	---''---
4 सहायक अभियन्ता	श्रीमती रीना पंडा	0771-2576081	---''---
5 सहायक अभियन्ता	श्रीमती कनिका श्रीवास्तव	0771-2574116	---''---
6 सहायक प्रबंधक	श्री के.मनोज	0771-2574116	---''---
7 सहायक प्रबंधक	डॉ.स्वाति तिवारी	0771-2574160	---''---

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

मैनुअल क्रमांक-10

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी मर्यादित में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन की जानकारी

The monthly remuneration received by each of its officers and employees, including the system of compensation as provided in its regulations; प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति

अधिकारियों और कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक का निर्धारण पूर्व के छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल/वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनीज के निर्धारित नियमावली के अनुसार किया जाता है। जुलाई, 2017 की स्थिति में उन्हें भुगतान किए गए मासिक पारिश्रमिक (मूल वेतन) का विवरण निम्नानुसार है:-

SALARIES DETIALS FOR THE MONTH OF July-2017

क्रमांक	व्यक्ति क्र.	नाम	पद	वर्ग	मूल वेतन+8% अतिरिक्त वेतन
1	2	3	4	5	6
1.	93970679	श्री अजय कुमार दुबे	ED (Fin)	Class - 1	87,426.00
2.	90337526	श्री आई.एन.कैथवास	CE	Class - 1	77,382.00
3.	88444185	श्री एस.आर.श्रेष्ठ	EE	Class - 1	65,664.00
4.	88034234	श्री प्रेमलाल लष्कर	AM	Class-2	45,522.00
5.	4511218	श्रीमती रीना पंडा	AE	Class-2	36,072.00
6.	93517133	श्रीमति कनिका श्रीवास्तव	AE	Class - 2	24,250-00
7.	09950220	श्री मनोज के.	AM	Class - 2	23,350-00
8.	09950809	डॉ. स्वाती तिवारी	AM	Class - 2	24,250-00
9.	84970332	श्री मोहन दास एस.	PS	Class - 2	57,249.00
10.	91376565	श्री शिवनारायण	PA	Class - 3	44,172.00
11.	91540376	श्री एस.आर.तांती	SO	Class - 3	49,572.00
12.	85972106	श्रीमति सुचिता वर्गीश	Sr. Steno	Class - 3	34,650-00
13.	90514793	श्री संजय कुमार अग्रवाल	Sr. Steno	Class - 3	23,350-00
14.	11940001	श्री अरुण कुमार देवांगन	Jr. Steno	Class - 3	15,741.00
15.	89970246	श्री तुलसीप्रसाद	OA - Gr-II	Class - 3	22,450-00
16.	92451838	श्री एम.आर.देवांगन	OA - Gr-II	Class - 3	29,106.00
17.	4950076	श्रीमती सोहद्रा बाई वर्मा	Peon	Class - 4	11,853.00
18.	10950110	श्रीमति श्यामा भुआर्या	Peon	Class - 4	10,152.00
19.	10950383	श्रीमति बी. सुहासनी	Peon	Class - 4	10,152.00
20.	96447790	सुबोध कुमार घसिया	Peon	Class - 4	16,956.00

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
मैनुअल क्रमांक-11

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी मर्यादित को आबंटित बजट

The budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and reports on disbursements made;

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी मर्यादित का वित्तीय वर्ष 2017-18 का स्वीकृत बजट रूपये 4.946 करोड़ है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

मैनुअल क्रमांक-12

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी मर्यादित में अनुदान सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत व्यय राशि का लाभान्वितों से संबंधित जानकारी

The manner of execution of subsidy programmes, including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes;

सहायकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदा ग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है के संबंध में जानकारी निरंक है ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

मैनुअल क्रमांक-13

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी मर्यादित द्वारा अनुदत्त रियायतों अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ

Particulars of recipients of concessions, permits or authorizations granted by CSPTrd.CL;

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी मर्यादित में अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण निरंक है ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

मैनुअल क्रमांक-14

इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध जानकारी

Details in respect of the information, available to or held by it, reduced
in an electronics form;

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी मर्यादित रायपुर से संबंधित
जानकारी विभाग की वेबसाइट <http://www.cspc.co.in> में उपलब्ध है ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

मैनुअल क्रमांक-15

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध करायी गयी सुविधाओं का विवरण

The particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working hours of a library or reading room, if maintained for public use;

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी मर्यादित में सूचनाओं को जनमानस तक पहुँचाने के लिए विभाग द्वारा निम्नलिखित व्यवस्थाएँ की गयी हैं :-

1. प्रमुख जानकारी कम्पनी की वेबसाइट में उपलब्ध है ।
2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत जनमानस आवेदन कर निर्धारित शुल्क अदायगी के पश्चात् अभिलेखों का निरीक्षण कर सकते हैं ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
मैनुअल क्रमांक-16

लोक सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम एवं अन्य विवरण
The names, designations and other particulars of the Public Information Officers;

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी मर्यादित के अपीलीय अधिकारी, जनसूचना अधिकारी एवं सहायक जनसूचना अधिकारी का विवरण –

क्र.	कार्यालय का स्तर	कार्यालय का नाम, स्थान, पता एवं दूरभाष क्रमांक	जनसूचना अधिकारी का नाम एवं पद का नाम	सहायक जनसूचना अधिकारी का नाम एवं पद का नाम	अपीलीय अधिकारी का नाम एवं पद का नाम
1	प्रबंध संचालक (ट्रेडिंग)	मुख्य अभियन्ता (तक.प्रको.) द्वितीय तल, विद्युत सेवा भवन, डंगनिया, रायपुर, दूरभाष क्र. 2574100	श्री एस.आर.श्रेष्ठ, कार्यपालन यंत्री दूरभाष क्र. 2574034	श्री के.मनोज, सहायक प्रबंधक दूरभाष क्र. 2574116	श्री आई.एन.कैथवास, मुख्य अभियन्ता (तक.प्रको.) छ.रा.वि. ट्रेडिंग कं.मर्या. रायपुर, दूरभाष क्र. 2574117

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
मैनुअल क्रमांक-17

अन्य उपयोगी जानकारी

Such other information as may be prescribed;

(आम नागरिक की सुविधाओं से संबंधित)

निरंक